

क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 33420-33421

दिनांक: 19-04-2021


1. समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान
2. समस्त जिला कौशल समन्वयक, आरएसएलडीसी

**विषय: कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करने के संबंध में।**

कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 33(02) ग्रह-9/2019 दिनांक 18.04.2021 गृह (गुप-9) विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत दिनांक 19/04/2021 से दिनांक 03/05/2021 तक सम्पूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाडा के क्रम में निम्न आदेश तुरंत प्रभाव से प्रसारित किए जाते हैं।

1. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा क्रियान्वित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत संचालित आवासीय एवं गैर आवासीय कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 19 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक स्थगित रहेंगे। इसी क्रम में कौशल विकास केन्द्रों से सम्बद्ध छात्रावास भी इस अवधि में बंद रहेंगे। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कौशल विकास केन्द्रों अथवा छात्रावासों में कोई भी प्रशिक्षणार्थी भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हों।
2. प्रशिक्षण बैचों की अवधि तदनुसार निगम के एमआईएस पर बढ़ा दी जाएगी।
3. पूर्व निर्धारित तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी उक्तानुसार स्थगित रहेंगे।
4. इस दौरान वर्तमान में चल रहे अथवा सहमत OJT (On Job Training) भी उपरोक्तानुसार स्थगित किये जाते हैं।
5. इस अवधि में MMYKY 2.0 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम यथावत संचालित होंगे।
6. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समक्ष दावे (First/Second/Third Installment) प्रस्तुत करने की समय सीमा उक्त अवधि को जोड़ते हुए बढ़ा दी जाएगी।

जिला कौशल समन्वयक समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को तत्काल इस संबंध में अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालना की स्थिति से निगम मुख्यालय को अवगत कराएंगे।

  
(प्रदीप के गावंडे)  
प्रबंध निदेशक


क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 33422-437

दिनांक: 19-04-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई), भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीडीयू-जीकेवाई), भारत सरकार, नई दिल्ली।

4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग एवं अध्यक्ष, आरएसएलडीसी, जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएसडीसी, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. महाप्रबन्धक, NBCFDC, PM Daksh, New Delhi
12. महाप्रबन्धक – II, III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी, आरएसएलडीसी, जयपुर।
14. उपमहाप्रबन्धक – I, III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त सैक्टर स्किल काउंसिल्स।
16. प्रोग्राम मैनेजर, पीएमसीए, जयपुर।
17. समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान, आरएसएलडीसी।
18. समस्त जिला कौशल समन्वयक, आरएसएलडीसी।
19. रक्षित पत्रावली।

  
महाप्रबन्धक प्रशासन  
आरएसएलडीसी, जयपुर